

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:- 02/2025  
WCMS सं.- 2025/390

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जेठन्तरी व भू.अ.नि समदड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत जेठन्तरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार समदड़ी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जेठन्तरी हॉल्ट	104, 15, 20,354	जबरा पुत्र चुना	जगताराम उर्फ जबरा पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुना
		356	जबरा पुत्र चुनीया	जगताराम उर्फ जबरा पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुनीया
		137	जगतसिंह पुत्र चुना	जगताराम उर्फ जगतसिंह पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुना
2	लादुनगर	498, 499, 500, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 522, 528, 529, 556, 557, 558, 559, 560, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 597	जगतसिंह पुत्र चुना	जगताराम उर्फ जगतसिंह पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/2289

दिनांक:- 17-09-2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी जगताराम पुत्र चुन्नीलाल जाति पुरोहित निवासी जेठन्तरी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

